


23/6/25

पत्रावली संख्या 53,88 द्वारा जारी आधिकारिक
 उक्त) जारी द्वारा जारी आधिकारिक
 निवेदन किया कि वाद पत्र अन्तर्गत कार्य
 में टंकणीज मुटि होने से वादपत्र में
 ग्राम मंडा के स्थान पर ग्राम शोपुरा
 (जो हो गया) नरसमज ग्राम मंडा एवं ग्राम
 शोपुरा नरसील कोर्ट की आधिकारिक
 उपाध्य आधिकारी कोर्ट की होने से -जापालक
 उपाध्य आधिकारी कोर्ट की के समक्ष वाद
 पत्रा किया गया था। जारी आधिकारिक
 द्वारा निवेदन किया गया कि जारी का
 जारीता पत्र आदेश 6 नियम 17 वा. नि.
 स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में ग्राम
 शोपुरा के स्थान पर ग्राम मंडा दर्ज किया
 जावे। जारी आधिकारी की बरत चुनी गई
 तथा जारी की बरत का मतलब एवं चिंतन
 किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन
 किया गया। जारी द्वारा वाद पत्र एवं जमाने
 का अवलोकन किया गया। वादपत्र के साथ
 उक्त जमाने ग्राम मंडा की होने से जारी
 द्वारा उक्त वाद में ग्राम शोपुरा टंकणीज
 मुटि से होने से जारीता पत्र अन्तर्गत आदेश
 6 नियम 17 वा. नि. स्वीकार किया जा
 वे तथा जारीता पत्र स्वीकार होने से वाद
 पत्र में लाल ल्यारी से मुटि की जाती है।
 पत्रावली में वाद गुप्त सूची का आधिकारिक
 जापालक उपाध्य आधिकारी कोर्ट की
 होने से वादपत्र की पत्रावली जापालक
 उपाध्य आधिकारी कोर्ट की हस्तान्तरित
 किया जाने का आदेश दिया जा रहा है। पत्रावली

— लगातार — 23/6/25
 सहायक कलक्टर
 भीलवाड़ा

जमना व/उ नारायण

२३/६/२५ वास्ते सुनगाई न्यायालय उपकरण आधिकारी, कोठी
के समक्ष पेश ही।
प्रावली हस्तान्तरित किये जाने से
नम्बर से कम ही।



23/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा